

अध्याय-2


वित्तीय प्रबन्धन और बजट नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोजन लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के प्रभारित और दत्तमत खर्चे के लेखे हैं जिसकी तुलना विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों और प्रभारित विनियोजनों की राशि के साथ की गई है, जो कि विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न सूचियों में विनिर्दिष्ट है। ये लेखे मूल बजट अनुमानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों एवं पुनर्विनियोजनों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करते हैं और विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत बजट की दोनों प्रभारित और दत्तमत मदों की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक राजस्व और पूंजीगत व्यय इंगित करते हैं। इस प्रकार विनियोजन लेखे, वित्तों के प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की मॉनीटरिंग को सरल बनाते हैं और अतः वित्त लेखों के पूरक हैं।

विनियोजन लेखों में बजट बनाने की प्रक्रिया और इसके कार्यान्वयन (चार्ट 2.1) से संबंधित गतिविधियों का समावेश है।

चार्ट 2.1: बजट कार्यान्वयन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन



स्रोत: बजट मैनुअल और विनियोजन लेखे

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया वास्तविक व्यय विनियोजन अधिनियमों के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के भीतर है तथा यह कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार प्रभारित किए जाने हेतु अपेक्षित व्यय को ही इस प्रकार प्रभारित किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई बजट एवं व्यय के प्रबंधन की कमियां तथा बजट मैनुअल का उल्लंघन अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चित किया गया है।

2.2 विनियोजन लेखों का संक्षेप

वर्ष 2018-19 के लिए कुल ₹ 1,41,732.90 करोड़ के व्यय का प्रावधान था। वर्ष के दौरान वास्तविक सकल व्यय ₹ 1,21,362.76 करोड़ हुआ। इसके परिणामस्वरूप 2018-19 में ₹ 20,370.14 करोड़ की बचत¹ हुई। विवरण नीचे **तालिका 2.1** में दिए गए हैं:

तालिका 2.1: मूल/पूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	71,217.35	5,257.19	76,474.54	63,629.06	(-) 12,845.48
	II पूंजीगत	25,489.59	3,783.11	29,272.70	25,919.74	(-) 3,352.96
	III ऋण एवं अग्रिम	1,766.42	245.54	2,011.96	755.64	(-) 1,256.32
कुल दत्तमत		98,473.36	9,285.84	1,07,759.20	90,304.44	(-) 17,454.76
भारित	IV राजस्व	14,456.78	141.17	14,597.95	13,735.87	(-) 862.08
	V पूंजीगत	100.00	10.00	110.00	138.58	(+) 28.58
	VI लोक ऋण का पुनर्भुगतान	12,465.75	6,800.00	19,265.75	17,183.87	(-) 2,081.88
कुल भारित		27,022.53	6,951.17	33,973.70	31,058.32	(-) 2,915.38
आकस्मिक निधि से विनियोजन		-	-	-	-	-
कुल योग		1,25,495.89	16,237.01	1,41,732.90	1,21,362.76	(-) 20,370.14

नोट: उपर दर्शाए गए व्यय सकल आंकड़े हैं जिसमें लेखाओं में दर्शाई गई कटौती के रूप में वसूलियाँ - राजस्व शीर्षों (₹ 209.39 करोड़) और पूंजीगत शीर्षों (₹ 10,751.72 करोड़) - की परिगणना नहीं की गई है।

₹ 16,237.01 करोड़ के पूरक प्रावधान द्वारा मूल प्रावधान का 13 प्रतिशत संघटित किया गया जोकि गत वर्ष में 10 प्रतिशत था।

¹ बचत वह पारिभाषिक शब्द है जो उस राशि को इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है जो बजट प्रावधानों में से खर्च नहीं की जा सकी।

विनियोजन लेखा 2018-19 का विश्लेषण

चार्ट 2.2: बजट को कैसे कार्यान्वित किया गया था



स्रोत: विनियोजन लेखा

₹ 20,370.14 करोड़ की समग्र बचतें, राजस्व (दत्तमत) के अंतर्गत 44 अनुदानों तथा राजस्व (भारित) खंड के अंतर्गत 15 अनुदानों, पूंजीगत (दत्तमत) के अंतर्गत 24 अनुदानों और ऋण खंड के अंतर्गत एक विनियोजन (लोक ऋण का पुनर्भुगतान) में ₹ 20,411.68 करोड़ की बचतों तथा राजस्व (भारित) खंड के अंतर्गत अनुदान संख्या 42 (₹ 12.96 करोड़), पूंजीगत (भारित) खंड के अंतर्गत अनुदान संख्या 8 (₹ 18.37 करोड़) तथा अनुदान संख्या 24-सिंचाई (₹ 10.21 करोड़) में ₹ 41.54 करोड़ के आधिक्य से समायोजन के कारण थी। ₹ 41.54 करोड़ के आधिक्य का संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत विनियमन अपेक्षित है।

तालिका 2.2: विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत कुल आधिक्य अथवा बचत

विवरण	अनुदानों/विनियोजन की संख्या					राशि (₹ करोड़ में)
	राजस्व (दत्तमत)	राजस्व (भारित)	पूंजीगत (दत्तमत)	पूंजीगत (भारित)	लोक ऋण पुनर्भुगतान	
बचत	44	15	24	-	1	20,411.68
अधिक व्यय	-	1	-	2	-	41.54

स्रोत: विनियोजन लेखा

₹ 100 करोड़ से अधिक बचत वाले अनुदान **परिशिष्ट 2.1** में सूचीबद्ध हैं।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन

2.3.1 प्रावधान के बिना व्यय

बजट मैनुअल के अनुसार, निधियों के प्रावधान के बिना, कोई व्यय स्कीम/सेवा पर नहीं किया जा सकता। फिर भी, यह देखा गया कि **परिशिष्ट 2.2** में दिए गए ब्यौरे के अनुसार नौ मामलों (₹ एक करोड़ से अधिक) में मूल अनुदानों/पूरक मांगों में बिना किसी प्रावधान के ₹ 86.49 करोड़ का व्यय किया गया।

2.3.2 प्रावधानों पर आधिक्य जिसे विनियमन की जरूरत है

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 के अनुसार इस अनुच्छेद के प्रावधानों की अनुपालना करते हुए विनियोजन अधिनियम पारित किये बिना राज्य की समेकित निधि से धन का निकास नहीं किया जायेगा। आगे, अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकारों के लिए यह जरूरी है कि अनुदानों/विनियोजनों पर आधिक्य राज्य विधायिका से विनियमित करवाए जाएं। यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय के विनियमन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है; लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखाओं की चर्चा के पूरा होने के बाद अधिक व्यय विनियमित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान तीन विनियोजनों में राज्य विधायिका से प्राधिकृत राशि से ₹ 41.54 करोड़ का अधिक व्यय किया गया। वर्ष 2017-18 से सम्बंधित दो अनुदानों एवं एक विनियोजन में ₹ 540.60 करोड़ के अधिक व्यय को राज्य विधायिका द्वारा अभी विनियमित किया जाना है (नवम्बर 2019)। यह संविधान के अनुच्छेदों 204 तथा 205 का उल्लंघन है तथा बजटीय प्रणाली एवं वित्तीय नियंत्रण को निष्प्रभाव करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

2.3.3 आबंटनों की तुलना में बचतें

वर्ष 2018-19 में कुल ₹ 20,370.14 करोड़ की बचत थी, जिसमें से 35 मामलों में प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत के साथ ₹ 19,330.91 करोड़ की बचत दर्ज की गई (परिशिष्ट 2.1)। इन 35 मामलों में ₹ 1,30,605.66 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 1,11,274.75 करोड़ था तथा बचतें ₹ 19,330.91 करोड़ थीं। 10 अनुदानों, 9-शिक्षा (राजस्व-दत्तमत), 15-स्थानीय शासन (राजस्व-दत्तमत), 27-कृषि (राजस्व दत्तमत), 32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (राजस्व दत्तमत), 36-गृह (राजस्व दत्तमत), 40-ऊर्जा एवं विद्युत (राजस्व दत्तमत), 6-वित्त (राजस्व भारित), 8-भवन एवं सड़कें (पूंजीगत-दत्तमत), 45-ऋण एवं अग्रिम (पूंजीगत-दत्तमत) तथा लोक ऋण में बचतें ₹ 500 करोड़ से अधिक थीं।

2.3.4 निरंतर बचतें

पिछले पांच वर्षों के दौरान 18 अनुदानों तथा एक विनियोजन में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें, जो कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या अधिक भी थीं, पाई गई (तालिका 2.3)।

तालिका 2.3: निरन्तर बचतें दर्शाने वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व (दत्तमत)						
1.	05-उत्पाद शुल्क और कराधान	29.40 (16)	45.48 (22)	35.12 (16)	65.89 (25)	48.40 (20)
2.	07-आयोजना एवं सांख्यिकी	333.58 (81)	237.74 (58)	283.17 (62)	10.76 (26)	22.00 (37)
3.	09-शिक्षा	1,369.49 (14)	2,317.26 (20)	3,436.36 (25)	2,345.71 (17)	1,799.79 (13)
4.	10-तकनीकी शिक्षा	137.08 (28)	93.47 (20)	98.19 (21)	92.61 (21)	68.17 (15)
5.	11-खेल एवं युवा कल्याण	58.82 (25)	84.43 (27)	105.84 (25)	211.20 (46)	114.86 (29)
6.	13-स्वास्थ्य	576.18 (21)	547.14 (18)	595.38 (18)	434.07 (12)	497.37 (12)
7.	14-शहरी विकास	32.64 (24)	63.06 (37)	12.47 (13)	53.95 (51)	38.93 (36)
8.	15-स्थानीय शासन	584.00 (28)	1,407.70 (43)	879.77 (25)	1,462.93 (27)	2,168.63 (43)
9.	17-रोजगार	25.15 (31)	29.62 (38)	16.12 (23)	56.52 (24)	45.37 (13)
10.	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	24.00 (11)	30.39 (12)	52.67 (19)	122.11 (29)	185.11 (37)
11.	19-एस.सी, एस.टी, ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यकों का कल्याण	95.10 (26)	323.20 (49)	213.79 (27)	357.63 (47)	325.97 (45)
12.	21-महिला एवं बाल विकास	195.08 (22)	268.23 (27)	368.88 (33)	232.26 (22)	476.58 (34)
13.	23-खाद्य एवं आपूर्ति	166.43 (45)	122.74 (33)	115.61 (14)	311.20 (54)	108.50 (28)
14.	27-कृषि	473.74 (37)	374.19 (27)	826.91 (43)	648.44 (34)	956.78 (35)
15.	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	580.95 (23)	815.54 (28)	366.90 (10)	1,193.68 (26)	1,261.75 (26)
पूँजीगत (दत्तमत)						
16.	21-महिला एवं बाल विकास	163.97 (74)	168.82 (79)	37.37 (34)	110.87 (64)	77.01 (48)
17.	34-परिवहन	29.13 (15)	79.85 (38)	149.58 (57)	45.64 (17)	163.57 (47)
18.	38-जन-स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	146.74 (13)	323.70 (28)	310.50 (25)	273.98 (19)	294.53 (17)
पूँजीगत (भारित)						
19.	लोक ऋण	5,622.44 (41)	2,820.83 (28)	4,401.67 (45)	3,606.12 (36)	2,081.88 (11)

* कोष्ठकों में आंकड़े कुल प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

2018-19 के दौरान 11 विकास योजनाओं (वेतन/स्थापनाओं से पृथक) में ऊपर उल्लिखित अनुदानों के अंतर्गत बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी (तालिका 2.4)।

तालिका 2.4: ₹ 100 करोड़ से अधिक बचत वाले मामलों के विवरण


क्र. सं.	अनुदान का नाम और स्कीम का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	बचत	बजट पर बचत प्रतिशतता
1	अनुदान संख्या 9-शिक्षा				
(i)	2202-सामान्य शिक्षा, 02-माध्यमिक शिक्षा, 109-सरकारी माध्यमिक विद्यालय, 86-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	500.00	298.00	202.00	40
2	15-स्थानीय शासन				
(i)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता, 96- स्टॉम्प शुल्क की आय से नगर निगमों तक स्थानीय निकायों में योगदान	532.40	364.49	167.91	32
(ii)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगर समितियों/परिषदों को सहायता, 92-स्टॉम्प शुल्क की आय से नगर समिति/परिषद तक स्थानीय निकायों में योगदान	346.00	146.61	199.39	58
(iii)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 91-शहरी स्थानीय निकायों के लिए वेट पर अनुसूचित जाति घटक के लिए अधिभार का हिस्सा	218.40	107.47	110.93	51
(iv)	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय, 75-शहरी स्थानीय निकायों के लिए वेट पर अधिभार का हिस्सा	974.00	481.31	492.69	51
3	21-महिला एवं बाल विकास				
(i)	2236-पोषण, 02-पौष्टिक खाद्य और पेय पदार्थों का वितरण, 101-विशेष पोषण कार्यक्रम, 95-पूरक पोषण कार्यक्रम	238.44	68.32	170.12	71
4	27-कृषि				
(i)	2401-फसल पालन, 119-बागवानी और सब्जियों की फसलें, 54- फार्म पर और बागवानी किसानों को विपणन समर्थन	199.33	0	199.33	100
5	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास				
(i)	2505-ग्रामीण रोजगार, 02-ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, 99-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.)	295.00	150.08	144.92	49
(ii)	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 102-सामुदायिक विकास, 94-हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एच.एस.वी.वाई.)	400.00	199.98	200.02	50
6	लोक ऋण				
(i)	6003-राज्य सरकार के आंतरिक ऋण, 107-स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंकों से ऋण	12,100.00	10,900.00	1200.00	10
(ii)	6003-राज्य सरकार के आंतरिक ऋण, 108-राष्ट्रीय सहकारी विकास सहयोग से ऋण	1,239.08	636.39	602.69	49

विकास योजनाओं पर व्यय का एक विस्तृत विश्लेषण अनुच्छेद 2.5.3 में किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से कार्यान्वित नहीं की गई योजनाओं, संशोधित प्रावधानों में कमी, संशोधित प्रावधानों में वृद्धि परंतु कम व्यय, नई स्कीमों में प्रावधान के बावजूद कोई व्यय नहीं, आदि शामिल हैं।

2.3.5 अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त पूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 37 मामलों में पूरक प्रावधानों द्वारा प्राप्त कुल ₹ 4,159.91 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं आया। 14 मामलों में ₹ 3,523.92 करोड़ का पूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 2.3** में वर्णित है। दूसरी ओर एक मामले में ₹ 10 करोड़ का पूरक अनुदान² अपेक्षाओं को वहन करने के लिए पर्याप्त नहीं था और 46 प्रतिशत तक कम पड़ गया (**चार्ट 2.3**)।

चार्ट 2.3: अनावश्यक, अधिक तथा अपर्याप्त पूरक प्रावधान



स्रोत: विनियोजन लेखे

सरकार द्वारा प्रभावी बजट अनुमान तैयार करने पर जोर देना चाहिए ताकि बृहद् बचतों तथा पूरक प्रावधानों से बचा जा सके।

2.3.6 व्यय का वेग

सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 56 के अनुसार व्यय की अधिकता विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में वित्तीय औचित्य का उल्लंघन समझा जाना चाहिए और इसे टालना चाहिए। इसके विपरीत **परिशिष्ट 2.4** में सूचीबद्ध 13 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 17 शीर्षों में वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान ₹ 10 करोड़ से अधिक जो कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक था, का व्यय किया गया।

आगे संवीक्षा में पाया गया कि 2018-19 के दौरान 13 अनुदानों के अंतर्गत 17 मुख्य शीर्षों में किए गए कुल ₹ 4,537.83 करोड़ के व्यय में से ₹ 2,380.32 करोड़ (52 प्रतिशत) का व्यय

² अनुदान संख्या 8 पूंजीगत भारत

मार्च 2019 माह में किया गया। अंतिम तिमाही के दौरान विशेषतः मार्च माह में व्यय की अधिकता, वित्तीय नियमों की अनुपालन न करना दर्शाता है।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में व्यय की अधिकता को नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित करने पर विचार करना चाहिए।

2.4 खजानों के कार्यचालन में पाई गई कमियां

2018-19 के लिए संकलन एवं निरीक्षण के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा द्वारा खजानों के कार्यचालन में निम्नलिखित प्रमुख कमियां पाई गईं:

2.4.1 खजानों द्वारा मासिक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब

वर्ष के दौरान, 13³ खजानों से 18 मामलों में लेखे विलंब से प्राप्त हुए थे (आठ मामलों में भुगतान की पहली सूची तथा दस मामलों में भुगतान की दूसरी सूची)। यहाँ यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि 94.07 प्रतिशत लेखे समय पर प्राप्त हुए थे। हालांकि, कुछ मामलों में मामूली विलंब पाया गया था। प्रारंभिक लेखाओं के प्राप्ति में विलंब के कारण प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा मासिक सिविल लेखाओं के संकलन में विलंब हुआ।

2.4.2 खजानों से प्रतीक्षित वाउचरों की प्राप्ति में देरी

पंजाब वित्तीय नियम वॉल्यूम-1 का नियम 3.17 के अनुसार खजाना अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी वाउचर भुगतान और अनुसूची की सूचियों के साथ संलग्न कर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा के कार्यालय को भेजे जायें।

लेखाओं की वाउचरवार पोस्टिंग/सत्यापन (संकलन) करते समय, ₹ 8.17 करोड़ राशि के 385 वाउचर (वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2018-19 से सम्बंधित) विभिन्न खजाना कार्यालयों से अभी भी मार्च 2019 तक प्रतीक्षित थे। मिसिंग वाउचरों के कारण सर्पेंस हेड के अंतर्गत बकाया राशि का खजाना-वार विवरण **परिशिष्ट 2.5** में दिया गया है।

2.4.3 खजानों से प्रतीक्षित विस्तृत आकस्मिक बिल

पंजाब खजाना नियम और सहायक खजाना नियम (वॉल्यूम-1) के नियम 4.49(4) में निहित प्रावधानों के अनुसार, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा जिस माह में संक्षिप्त आकस्मिक बिल तैयार किए जाते हैं उसके अनुवर्ती आगामी माह के अंत तक विस्तृत आकस्मिक बिल जमा किए जाने अपेक्षित होते हैं। लेकिन ₹ 102.61 करोड़⁴ की राशि के 352 संक्षिप्त आकस्मिक बिलों से सम्बंधित विस्तृत आकस्मिक प्रस्तुत नहीं किये गए थे। अग्रिम लेने के बाद लेखाकृत न करने से अपव्यय/गबन/दुरुपयोग, आदि की संभावना बढ़ जाती है।

³ भिवानी, दिल्ली, फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, नूंह (मेवात), पानीपत, रोहतक, सिरसा और सोनीपत।

⁴ 2016-17 तक (तीन ए.सी. बिल) - ₹ 2.60 करोड़, 2017-18 (10 ए.सी. बिल) - ₹ 2.29 करोड़, 2018-19 (339 ए.सी. बिल) - ₹ 97.72 करोड़।

2.4.4 वन अधिकारियों द्वारा प्रेषित राशियों के लिए समेकित खजाना प्राप्तियां प्रस्तुत न करना

पंजाब खजाना नियमों के नियम 2.16 और सहायक खजाना नियम (वॉल्यूम-1) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक खजाना अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह के पहले दिन प्रत्येक मंडलीय वनाधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह के दौरान प्रेषित राशियों के लिए फॉर्म टी.ए.-12 में समेकित खजाना प्राप्तियां जारी करनी चाहिए।

तथापि, यह देखा गया था कि पिछले पांच वर्षों से, खजाना अधिकारी संबंधित मंडलीय वन अधिकारियों को अपेक्षित समेकित खजाना रसीदें जारी नहीं कर रहे थे। 31 मार्च 2019 तक विभिन्न वन मंडलों तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के लेखाओं में मौजूद निवल अंतरों को **परिशिष्ट 2.6** में दर्शाया गया है। इन निवल अंतरों का समाधान संबंधित खजाना अधिकारियों से समेकित खजाना प्राप्तियों की प्राप्ति पर ही किया जा सकता है। इसके कारण, जो चालान राशि मंडलीय रोकड़ बही में नहीं ली गई वह विभाग के उचित राजस्व शीर्ष की बजाय सस्पेंस शीर्ष के अंतर्गत ली जाती है।

2.5 बजटीय पूर्वानुमानों के विश्लेषण का परिणाम

2.5.1 अवास्तविक बजट अनुमान

वर्ष 2018-19 के लिए राज्य सरकार द्वारा ₹ 1,02,732.54 करोड़ का मूल बजट तैयार किया गया था और संशोधित ₹ 1,02,779.09 करोड़ का था। इसके विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 93,217.78 करोड़ हुआ। वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए मूल बजट, संशोधित अनुमान, वास्तविक व्यय के विवरण **तालिका 2.5** में दिए गए हैं:

तालिका 2.5: 2014-19 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
मूल बजट	59,451.23	69,140.29	88,781.96	92,384.38	1,02,732.54
संशोधित अनुमान	61,449.82	85,037.30	84,132.15	93,685.52	1,02,779.09
वास्तविक व्यय	53,676.27	79,394.32	79,781.44	88,190.15	93,217.78
बचत	7,773.55	5,642.98	4,350.71	5,495.37	9,561.31

इसी प्रकार, अनुमानित प्राप्तियां ₹ 88,333 करोड़ को संशोधित करके ₹ 82,246 करोड़ के अनुमानों के विरुद्ध वास्तविक प्राप्तियों ₹ 71,306 करोड़ थीं जैसा **तालिका 2.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: प्राप्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
मूल बजट	48,058	52,717	63,666	74,813	88,333
संशोधित अनुमान	45,821	54,642	60,784	76,445	82,246
वास्तविक प्राप्तियां	41,090	47,915	53,496	69,076	71,306
कमी	4,731	6,727	7,288	7,369	10,940

2.5.2 संसाधनों का वास्तविक पूर्वानुमान

पंजाब स्टेट बजट मैनुअल के नियम 4.2 के अनुसार संशोधित अनुमान वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों के यथासंभव सटीक पूर्वानुमान होते हैं कि वर्ष भर की वास्तविक प्राप्तियां क्या रहेंगी और इन पूर्वानुमानों की गणना का मत्वपूर्ण आधार, वर्ष के बीत चुके महीनों के दौरान हुई वास्तविक प्राप्तियां होती हैं। यदि कोई अधिकारी देखता है कि राजस्व के किसी स्रोत से वास्तविक प्राप्तियां पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि की तुलना में अधिक या कम हैं तो वह शेष महीनों के दौरान उसी दर पर वृद्धि या गिरावट की निरंतरता के पूर्वानुमानों के बारे में सही है। इस प्रकार, अनुमान हमेशा सरकार की प्राप्तियों और व्यय को प्रभावित करने वाले कारणों को ध्यान में रख कर ही बनाने चाहिए तथा जहां तक संभव हो सटीक होने चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि कर-भिन्न राजस्व के लिए 2018-19 का संशोधित अनुमान ₹ 17,627.51 करोड़ था जबकि वास्तविक प्राप्ति ₹ 15,049.18 करोड़ थी। अतः ₹ 2,578.33 करोड़ की कमी हुई। इसी प्रकार, वर्ष 2018-19 के लिए कर राजस्व का अनुमान ₹ 59,200.60 करोड़ था जबकि वास्तविक प्राप्ति ₹ 50,835.94 करोड़ थी जो कि पूर्वानुमान से ₹ 8,364.66 करोड़ कम थी। इस संबंध में गत पांच वर्षों के पूर्वानुमान नीचे तालिका 2.7 में दिए गए हैं।

तालिका 2.7: कर राजस्व और कर-भिन्न राजस्व के पूर्वानुमान एवं वास्तविक

(₹ करोड़ में)				
वर्ष	विवरण	संशोधित अनुमान	वास्तविक	अंतर
2014-15	कर राजस्व	33,402.75	31,182.66	2,220.09
	कर-भिन्न राजस्व	12,016.39	9,616.00	2,400.39
2015-16	कर राजस्व	40,436.10	36,425.31	4,010.79
	कर-भिन्न राजस्व	13,731.25	11,131.24	2,600.01
2016-17	कर राजस्व	45,087.63	40,623.15	4,464.48
	कर-भिन्न राजस्व	15,239.46	11,873.67	3,365.79
2017-18	कर राजस्व	53,061.52	48,396.90	4,664.62
	कर-भिन्न राजस्व	17,023.61	14,297.97	2,725.64
2018-19	कर राजस्व	59,200.60	50,835.94	8,364.66
	कर-भिन्न राजस्व	17,627.51	15,049.18	2,578.33

2.5.3 विकास योजनाओं की खामियां

2018-19 के दौरान विकास स्कीमों के लिए ₹ 42,784.08 करोड़ का संशोधित अनुमान आंका गया था। विकास स्कीमों पर ₹ 35,645.30 करोड़ की राशि खर्च की गई थी, जो प्रावधानों का 83.31 प्रतिशत था। निम्न तथ्यों के कारण परिवर्तन हुआ:

- i. 2018-19 के लिए ₹ 368.75 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय वाली कुल 20 योजनाएं कार्यान्वित नहीं की गई थी तथा संशोधित अनुमानों में पूर्ण रूप से वापिस ले ली गई (परिशिष्ट 2.7)।
- ii. 2018-19 के लिए अनुमोदित परिव्यय में 41 योजनाओं के अंतर्गत किया गया ₹ 1,648.47 करोड़ का प्रावधान कम करके संशोधित अनुमान में ₹ 590.19 करोड़ कर दिया गया था किंतु इन स्कीमों के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया था (परिशिष्ट 2.8) जिसके लिए कारण नहीं दिए गए थे।

- iii. अनुमोदित परिव्यय के साथ-साथ संशोधित परिव्यय में 10 योजनाओं के अंतर्गत ₹ 28.69 करोड़ का प्रावधान किया गया था किंतु वर्ष 2018-19 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था (परिशिष्ट 2.9)।
- iv. सात योजनाओं के अंतर्गत किया गया ₹ 374.88 करोड़ का प्रावधान बढ़ा कर ₹ 573.61 करोड़ किया गया था जिसके विरुद्ध वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 233.81 करोड़ का व्यय किया गया जो कि मूल अनुमानों का 62 प्रतिशत था। अतः पूरक अनुदानों के माध्यम से निधियों में की गई वृद्धि अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि कुल व्यय मूल अनुमानों से भी कम था (परिशिष्ट 2.10)।
- v. 48 विकास योजनाओं, जिनके निष्पादन के लिए 2018-19 के दौरान ₹ 5,005.09 करोड़ का प्रावधान अनुमोदित किया गया था, संशोधित अनुमानों में ₹ 3,213.01 करोड़ कर दिया गया था। इन योजनाओं पर केवल ₹ 1,745.04 करोड़ का व्यय किया गया था जोकि संशोधित प्रावधानों का 54 प्रतिशत था (परिशिष्ट 2.11)।
- vi. महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण की एक योजना, जिसके लिए 2018-19 के दौरान ₹ 28.50 करोड़ का प्रावधान अनुमोदित किया गया था, संशोधित अनुमानों में ₹ 14 करोड़ कर दिया गया था, किंतु ₹ 17.77 करोड़ का व्यय किया गया था जोकि संशोधित अनुमान का 127 प्रतिशत था।
- vii. 35 योजनाएं, जिनके लिए मूल प्रावधान तथा संशोधित प्रावधान ₹ 852.89 करोड़ का था, किंतु ₹ 352.57 करोड़ (41 प्रतिशत) का व्यय किया गया जोकि किए गए प्रावधान से बहुत कम था जिसका विवरण परिशिष्ट 2.12 में दिया गया है।
- viii. दो योजनाओं⁵ में मूल बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया था और ₹ 4.55 करोड़ का प्रावधान संशोधित अनुमानों में किया गया था। ₹ 2.02 करोड़ (44 प्रतिशत) का व्यय किया गया था जो कि किए गए प्रावधान से कम था।
- ix. तीन नई योजनाएं⁶, जिनके लिए संशोधित अनुमानों में ₹ 52.95 करोड़ का प्रावधान किया गया था किंतु वर्ष 2018-19 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था।
- x. 10 योजनाओं के अंतर्गत किया गया ₹ 301.60 करोड़ का प्रावधान ₹ 1,029.24 करोड़ तक बढ़ाया गया था जिसके विरुद्ध वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 566.07 करोड़ का व्यय किया गया था। इस प्रकार पूरक अनुदानों के माध्यम से निधियों में की गई वृद्धि अत्यधिक सिद्ध हुई क्योंकि इन योजनाओं का कुल व्यय संशोधित अनुमानों का 55 प्रतिशत था (परिशिष्ट 2.13)।

⁵ (i) आयुष विभाग के अंतर्गत श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र तथा (ii) विकास और पंचायत विभाग के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए मैचिंग सहायता अनुदान (लोगों का हिस्सा)

⁶ (i) हरियाणा में कृषि और किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत गन्ना किसानों को भुगतान करने के लिए निजी चीनी मिलों को वित्तीय सहायता, (ii) खाद्य और आपूर्ति विभाग के अंतर्गत केरोसीन मुक्त हरियाणा तथा (iii) जेल विभाग के अंतर्गत जेलों का आधुनिकीकरण।

2.6 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

दो चयनित अनुदानों, 04-राजस्व तथा 08-भवन एवं सड़कें में हुए व्यय पर बजटीय प्रक्रिया तथा नियंत्रण की समीक्षा (मई - सितंबर 2019) की गई थी। इस प्रक्रिया में मूल अनुदान, पूरक मांगों और वास्तविक व्यय में अंतर के परिमाण का विश्लेषण किया गया।

2.6.1 अनुदान संख्या 4-राजस्व

अनुदान संख्या 4-राजस्व में प्रमुख शीर्ष 2029-भू-राजस्व, 2030-स्टाम्प्स और पंजीकरण, 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं, 2053-जिला प्रशासन, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, 2245-प्राकृतिक आपदाओं पर राहत, 2506-भूमि सुधार, 2705-कमान क्षेत्र विकास, 3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं, 3454-जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी और 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं शामिल हैं।

(i) बजट तथा व्यय

पिछले तीन वर्षों (2016-17 से 2018-19) के लिए राजस्व (दत्तमत) खंड के अंतर्गत बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचत की समग्र स्थिति **तालिका 2.8** में दी गई है।

तालिका 2.8: बजट प्रावधान तथा व्यय

वर्ष	मूल प्रावधान	पूरक	कुल	व्यय	बचत (प्रतिशत में)
	(₹ करोड़ में)				
2016-17	1,069.65	675.21	1,744.86	1,526.06	218.80(13)
2017-18	1,189.31	120.30	1,309.61	1,098.03	211.58(16)
2018-19	1,105.74	288.60	1,394.34	1,066.23	328.11(24)

स्रोत: विनियोजन लेखे

वर्ष 2016-19 के दौरान राजस्व (दत्तमत) में वास्तविक व्यय, बजट प्रावधान से कम रहा तथा 13 एवं 24 प्रतिशत के मध्य सतत् बचत दर्ज की गई। यह दर्शाता है कि बजट में किए गए प्रावधान अवास्तविक थे।

(ii) बचत

पंजाब बजट नियमावली जो कि हरियाणा में लागू है के पैरा 5.3 के अनुसार बजट के अनुमान यथासंभव सटीक होने चाहिए और प्रत्येक मद के संबंध में किए जाने वाले प्रावधान वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान करने अथवा खर्च होने की अपेक्षा के आधार पर किये जाने चाहिए।

राजस्व (दत्तमत) खंड के अंतर्गत 15 उप-शीर्षों में ₹ 264.85 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 130.58 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 134.27 करोड़ की बचत हुई। **परिशिष्ट 2.14** में दिए गए विवरणानुसार बचत कुल प्रावधान के 12 से 100 प्रतिशत के बीच थी।

(iii) सतत् बचत

आठ उप-शीर्षों में वर्ष 2016-19 के दौरान कुल प्रावधान की 12 से 100 प्रतिशत के बीच सतत् बचत दर्ज की गई (**परिशिष्ट 2.15**) जो संबंधित वर्षों में अनुमानित वित्तीय परिव्यय की अप्राप्ति, अप्रभावी योजना और अवास्तविक आकलन की ओर संकेत कर रही थी।

(iv) अनावश्यक/अत्यधिक पूरक प्रावधान

वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता की मध्यावधि समीक्षा के बाद अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत अपेक्षित अधिक व्यय के लिए पूरक अनुदान प्राप्त किए जाते हैं। प्रस्तुत अनुदान के अंतर्गत आठ योजनाओं में ₹ 254.12 करोड़ (मूल: ₹ 230.52 करोड़ और पूरक: ₹ 23.60 करोड़) के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 220.31 करोड़ का व्यय हुआ, परिणामस्वरूप ₹ 33.81 करोड़ (कुल प्रावधान का 13 प्रतिशत) की बचत हुई। अतः ₹ 23.60 करोड़ के पूरक प्रावधान अनावश्यक/अधिक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर पर भी नहीं आया था जैसा कि तालिका 2.9 में दिया गया है।

तालिका 2.9: योजनाओं के विवरण जिनमें अनावश्यक/अत्यधिक पूरक प्रावधान किए गए थे

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	मूल प्रावधान	पूरक	कुल प्रावधान	व्यय	बचत
मुख्यालय स्टॉफ (2029-51-103-99)	9.29	0.16	9.45	6.05	3.40
स्थापना (2053-51-093-99)	168.78	5.59	174.37	163.13	11.24
उप-मंडलीय स्थापना (2053-51-094-99)	29.44	2.15	31.59	25.04	6.55
स्थापना (2053-51-101-99)	13.53	1.85	15.38	12.01	3.37
जल निकासी का कार्य (2245-02-282-99)	5.00	2.00	7.00	5.00	2.00
सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण और सर्वेक्षण एवं निपटान अभिलेखों का अद्यतन (2506-51-103-98-99)	0.00	10.50	10.50	5.50	5.00
गेजेटियर्स (3454-02-110-99)	1.51	1.06	2.57	1.49	1.08
कृषि सुधार राजस्व (3475-51-201-99)	2.97	0.29	3.26	2.09	1.17
कुल	230.52	23.60	254.12	220.31	33.81

यह वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए निधियों की आवश्यकता के आकलन में कमियों और इस विभाग द्वारा व्यय के प्रवाह की निगरानी करने में विफलता को इंगित करता है। इस प्रकार, निधियों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना अनावश्यक/अत्यधिक प्रावधान किए गए थे।

2.6.2 अनुदान संख्या 8- भवन एवं सड़कें

अनुदान संख्या 8- भवन एवं सड़कें में प्रमुख शीर्ष 2059-लोक निर्माण, 2216-आवास, 3054-सड़क एवं पुल, 4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय, 4202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4401-फसल कृषि व्यवस्था पर पूंजीगत परिव्यय, 5053-नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय और 5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय शामिल हैं। जिसमें भवनों और सड़कों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव जैसे कि स्कूल भवन, माध्यमिक स्कूल भवन, कॉलेज भवन, पॉलिटेक्निक भवन आदि, औद्योगिक प्रशिक्षण के विकास के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अंतर्गत पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण, राज्य योजना के अंतर्गत पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण, केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण तथा चौड़ीकरण,

नाबार्ड योजना के अंतर्गत पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण, नाबार्ड योजना के अंतर्गत सड़कों और बाईपास का निर्माण, सुदृढीकरण/चौड़ीकरण, आदि से सम्बंधित विभिन्न योजनाओं पर व्यय किया गया था।

(i) बजट तथा व्यय

पिछले तीन वर्षों (2016-17 से 2018-19) के लिए राजस्व (दत्तमत) खंड के अंतर्गत बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचत की समग्र स्थिति तालिका 2.10 में दी गई है।

तालिका 2.10: बजट प्रावधान तथा व्यय

वर्ष	खंड	मूल प्रावधान	पूरक	कुल	व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
		(₹ करोड़ में)				
2016-17	राजस्व (दत्तमत)	1,344.47	0.00	1,344.47	1,190.33	(-)-154.14 (11)
	राजस्व (भारित)	0.05	0.00	0.05	0.00	(-) 0.05 (100)
	पूँजीगत (दत्तमत)	3,609.09	112.66	3,721.75	1,996.38	(-)-1,725.37 (46)
	पूँजीगत (भारित)	25.00	8.00	33.00	34.98	(+) 1.98 (6)
2017-18	राजस्व (दत्तमत)	1,397.05	36.25	1,433.30	1,136.98	(-)-296.32 (21)
	राजस्व (भारित)	0.05	0.00	0.05	0.00	(-)-0.05 (100)
	पूँजीगत (दत्तमत)	3,484.30	272.31	3,756.61	2,602.27	(-)-1,154.34 (31)
	पूँजीगत (भारित)	30.00	0.00	30.00	16.49	(-)-13.51 (45)
2018-19	राजस्व (दत्तमत)	1,208.65	12.15	1,220.80	961.32	(-)-259.48 (21)
	राजस्व (भारित)	0.05	0.00	0.05	0.00	(-)-0.05 (100)
	पूँजीगत (दत्तमत)	3,474.14	256.30	3,730.44	2,848.31	(-)-882.13 (24)
	पूँजीगत (भारित)	30.00	10.00	40.00	58.37	(+)-18.37 (46)

स्रोत: विनियोजन लेखे

2016-17 से 2018-19 के दौरान, राजस्व (दत्तमत) के अंतर्गत कुल प्रावधान में 11 से 21 प्रतिशत बीच बचत दर्ज की गई और पूँजीगत खंड के अंतर्गत बचत 24 से 46 प्रतिशत के बीच थी। राजस्व (भारित) खंड के अंतर्गत 100 प्रतिशत बचत थी।

(ii) बचत

राजस्व शीर्ष के अंतर्गत, आठ उप-शीर्षों में ₹ 1,026.69 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 696.15 करोड़ का व्यय किया गया था और ₹ 330.54 करोड़ की बचत हुई। ये बचतें कुल प्रावधान के 17 एवं 96 प्रतिशत के बीच थीं। पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत, 41 उप-शीर्षों में ₹ 2,163.94 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 1,069.79 करोड़ का व्यय किया गया था अतः वर्ष के दौरान ₹ 1,094.15 करोड़ की बचत हुई। **परिशिष्ट 2.16** में दिए गए विवरणानुसार कुल प्रावधान के 18 तथा 100 प्रतिशत के बीच बचतें थीं।

(iii) सतत् बचत

सत्ताईस उप-शीर्षों में वर्ष 2016-19 के दौरान सतत् बचत कुल प्रावधान के 11 से 100 प्रतिशत के बीच थी (विवरण **परिशिष्ट 2.17** में दिए गए हैं) जो संबंधित वर्षों में अनुमानित वित्तीय परिव्यय की अप्राप्ति, अप्रभावी योजना और अवास्तविक आकलन की ओर संकेत कर रही थी।

(iv) निधियों का अपर्याप्त पूरक प्रावधान

वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता की मध्यावधि समीक्षा के बाद अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत अपेक्षित अधिक व्यय के लिए पूरक अनुदान प्राप्त किए जाते हैं। तालिका 2.11 में दिए गए विवरणों के अनुसार आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूरक प्रावधान पर्याप्त नहीं थे और यह पाया गया कि कुल बजट प्रावधान (मूल प्रावधान + पूरक) से अधिक व्यय किया गया था। अतिरिक्त व्यय राज्य विधानसभा से विनियमित करवाया जाना वांछित था।

तालिका 2.11: योजनाओं के विवरण जिनमें पूरक प्रावधान पर्याप्त नहीं थे

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	मूल प्रावधान	पूरक	कुल प्रावधान	व्यय	आधिक्य
राजस्व (दत्तमत)					
रखरखाव और मरम्मत-(2059-80-053-99)	77.00	5.00	82.00	85.58	3.58
सामान्य रखरखाव और मरम्मत (2216-05-053-99-88)	22.01	4.40	26.41	26.54	0.13
पूँजीगत (दत्तमत)					
भूमि की खरीद और निर्माण कार्य - निदेशालय अग्नि शमन सेवाएं, हरियाणा (पंचकुला) की (4059-01-051-64)	0.00	2.00	2.00	7.00	5.00
न्यायिक परिसर का निर्माण, बावल (रेवाड़ी) (4059-60-051-60)	0.00	0.00 ⁷	0.00	1.70	1.70
निर्माण कार्य आवासीय परिसर और न्यायिक परिसर, सेक्टर 21 पिंजौर, कालका (4059-60-051-61)	0.00	0.00 ⁵	0.00	17.73	17.73
फ्री होल्ड आधार पर अंबाला शहर में न्यायिक अधिकारी के लिए आवासीय परिसर का निर्माण (4059-60-051-62)	0.00	0.00 ⁵	0.00	68.35	68.35
करनाल में वकीलों के चैंबरों का निर्माण (4059-60-051-63)	0.00	0.00 ⁵	0.00	5.87	5.87
भवन (4210-01-110-99)	100.00	50.00	150.00	182.88	32.88
औद्योगिक प्रशिक्षण के विकास के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण (4250-51-800-94)	40.00	5.00	45.00	51.93	6.93
पूँजीगत (भारित)					
अनुसंधान (5054-80-800-99)	30.00	10.00	40.00	58.37	18.37
कुल	269.01	76.40	345.41	505.95	160.54

यह वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए निधियों की आवश्यकता के आकलन में कमियों और इस विभाग द्वारा व्यय के प्रवाह को नियंत्रित करने में विफलता को इंगित करता है।

2.6.3 बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

वर्ष 2018-19 हेतु बजट अनुमान, प्रशासनिक विभाग तथा विभिन्न कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा 5 नवम्बर 2017 से पूर्व वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित थे। इसके विपरीत, अनुदान संख्या 4 और 8 की समीक्षा के दौरान पाया गया कि विभागाध्यक्षों ने वित्त विभाग को अपने अनुमान 14 दिनों से 56 दिनों तक की देरी के बाद प्रस्तुत किए (परिशिष्ट 2.18)।

⁷ पूरक प्रावधान के माध्यम से केवल ₹ 2,000 आवंटित।

2.7 निष्कर्ष

2018-19 के दौरान, ₹ 1,41,732.90 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरुद्ध ₹ 1,21,362.76 करोड़ का व्यय किया गया था। ₹ 20,370.14 करोड़ की समग्र बचतें, विभिन्न अनुदानों में ₹ 20,411.68 करोड़ की बचत तथा तीन अनुदानों के अंतर्गत ₹ 41.54 करोड़ के अधिक व्यय के कारण थीं। जिसे वर्ष 2017-18 से संबंधित ₹ 540.60 करोड़ के अधिक व्यय के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित करवाए जाने की आवश्यकता थी।

2014-19 के दौरान 18 अनुदानों और एक विनियोजन में सतत बचत दर्ज की गई। 37 मामलों में, पूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान से कम रहा। 13 अनुदानों के अंतर्गत 17 प्रमुख शीर्षों में 52 प्रतिशत व्यय मार्च 2019 में किया गया जो वर्ष के अंतिम माह में व्यय के आधिक्य को दर्शाता है तथा सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 56 के प्रावधानों के विपरीत था। 2018-19 के दौरान ₹ 2,045.91 करोड़ के अनुमोदित अनुमान वाली 71 विकास योजनाएं कार्यान्वित नहीं की गई थीं।